आरईसी
REC
असीमित ऊर्जा, अनन्त संभावनाएं
Endless energy. Infinite possibilities.
महारत्न कंपनी

स्टॉक एक्सचेंजों के प्रकटीकरण के लिए घटनाओं या सूचना की महत्ता निर्धारित करने के लिए मानदंड संबंधी नीति

सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ)
विनियम, 2015 के विनियम 30 के अनुसार

(27 मार्च, 2024 को यथा संशोधित)

स्टॉक एक्सचेंजों के प्रकटीकरण के लिए घटनाओं या सूचना की महत्ता निर्धारित करने के लिए मानदंड संबंधी नीति

I. परिचय:

इस नीति को आरईसी लिमिटेड ("आरईसी" या "कंपनी") की **स्टॉक एक्सचेंजों को प्रकटीकरण के लिए घटनाओं या सूचना की भौतिकता निर्धारित करने के लिए मानदंड पर नीति कहा** जाएगा। यह नीति सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 [सेबी (एलओडीआर) विनियम] के विनियमन 30 की आवश्यकता के अनुसार तैयार की गई है, जिसमें इसका संशोधन भी शामिल हैं।

II. उद्देश्य:

इस नीति का उद्देश्य कंपनी से संबंधित घटनाओं या सूचनाओं की महत्ता का पता लगाने के लिए समग्र शासन ढांचा प्रदान करना और यह सुनिश्चित करना है कि कंपनी ऐसी घटनाओं और सूचनाओं को स्टॉक एक्सचेंजों तक तुरंत प्रसारित करे, जिन पर कंपनी की प्रतिभूतियां सूचीबद्ध हैं। यह नीति कंपनी के आंतरिक व्यापार (इंसाइडर ट्रेडिंग) की रोकथाम संहिता के साथ सह-अस्तित्व में होगी।

III. परिभाषाएं:

1. **कंपनी** का अर्थ है आरईसी लिमिटेड।

2. **मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक** का अर्थ कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2 की उप-धारा (51) में परिभाषित प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक होगा।

3. **सूचीबद्धता समझौते** का अर्थ है सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 के अनुसार किसी मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज और कंपनी के बीच किया गया समझौता।

4. **आवश्यक घटना या आवश्यक जानकारी** का अर्थ ऐसी घटना या जानकारी होगी जो इस नीति के खंड IV के अनुसार निर्धारित की जा सकती है।

5. **नीति** का अर्थ है **कंपनी की 'स्टॉक एक्सचेंजों के प्रकटीकरण के लिए घटनाओं या सूचना की महत्ता निर्धारित करने के लिए मानदंड संबंधी नीति'**, जिसे समय-समय पर संशोधित किया जा सकता है।

6. **विनियमन** का अर्थ भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 है, जिसमें कोई भी संशोधन, स्पष्टीकरण, परिपत्र या पुन: अधिनियमन शामिल हैं।

7 **"मुख्यधारा के मीडिया"** में निम्नलिखित का मुद्रित या इलेक्ट्रॉनिक माध्यम शामिल होगा:

i. भारतीय समाचार पत्रों के रजिस्ट्रार के साथ पंजीकृत समाचार पत्र;

ii. भारत सरकार के तहत सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा अनुमति प्राप्त समाचार चैनल;

iii. सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यवर्ती दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम, 2021 के तहत परिभाषित समाचार और समसामयिक मामलों की सामग्री के प्रकाशक द्वारा प्रकाशित सामग्री; और

iv. भारत के बाहर के क्षेत्राधिकारों में, यथास्थिति, इसी तरह से पंजीकृत या स्वीकृत या विनियमित समाचार पत्र या समाचार चैनल या समाचार और समसामयिक मामलों की सामग्री।

यहां परिभाषित नहीं किए गए किसी भी अन्य शब्द का वही अर्थ होगा जो कंपनी अधिनियम, 2013, सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 या कंपनी पर लागू सीमा तक किसी अन्य लागू कानून या विनियमन में परिभाषित है।

IV. प्रकटीकरण के लिए घटना या सूचना की महत्ता निर्धारित करने के लिए उत्तरदायी व्यक्ति (व्यक्तियों):

कंपनी के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (सीएमडी), निदेशक (वित्त), कंपनी सचिव या सीएमडी द्वारा अधिकृत कोई अन्य व्यक्ति, इस नीति के प्रावधानों के अधीन, स्टॉक एक्सचेंजों में प्रकटीकरण करने के उद्देश्य से, नीचे दिए गए दिशा-निर्देशों और/या अच्छे निगम प्रशासन के रूप में उपयुक्त समझी जाने वाली किसी भी जानकारी के अनुसार घटनाओं या सूचनाओं की महत्ता निर्धारित करने के लिए अलग-अलग अधिकृत होगा, जहां कंपनी की प्रतिभूतियां सूचीबद्ध हैं।

घटनाओं/सूचना की महत्ता के निर्धारण के लिए निम्नलिखित मानदंडों पर विचार किया जाएगा:

क. किसी घटना या जानकारी की लोप, जिसके परिणामस्वरूप सार्वजनिक रूप से पहले से उपलब्ध घटना या सूचना में व्यवधान या परिवर्तन होने की संभावना हो; या
ख. किसी घटना या सूचना को छोड़ देने के परिणामस्वरूप बाजार में महत्वपूर्ण प्रतिक्रिया होने की संभावना, यदि उक्त चूक बाद में प्रकाश में आए; या
ग. किसी घटना या सूचना का लोप, जिसका मूल्य या मूल्य के संदर्भ में अपेक्षित प्रभाव, निम्नलिखित में से कम से कम हो:
    1. कंपनी के पिछले अंतिम लेखापरीक्षित समेकित वित्तीय विवरणों के अनुसार टर्नओवर का दो प्रतिशत।
    2. कंपनी के अंतिम लेखापरीक्षित समेकित वित्तीय विवरणों के अनुसार निवल मूल्य का दो प्रतिशत, सिवाय उस स्थिति के जब निवल मूल्य का अंकगणितीय मूल्य ऋणात्मक हो।
    3. कंपनी के पिछले तीन लेखापरीक्षित समेकित वित्तीय विवरणों के अनुसार, कर के पश्चात लाभ या हानि के निरपेक्ष मूल्य के औसत का पांच प्रतिशत।
घ. ऐसे मामलों में जहां उप-खंड (क), (ख) और (ग) में निर्दिष्ट मानदंड लागू नहीं होते हैं, तो किसी घटना या सूचना को महत्त्वपूर्ण माना जा सकता है यदि कंपनी के निदेशक मंडल की राय में, घटना या जानकारी को महत्त्वपूर्ण माना जाता है।

इसके अतिरिक्त,

- इस नीति के **अनुलग्नक I** में निर्दिष्ट सभी घटनाएँ या सूचना 'महत्वपूर्ण' मानी जाएँगी और कंपनी को ऐसी घटनाओं का प्रकटीकरण करना आवश्यक होगा।
- इसके अतिरिक्त, इस नीति के **अनुलग्नक II** में निर्दिष्ट घटनाओं का प्रकटीकरण ऊपर दिए गए दिशा-निर्देशों के आधार पर किया जाना है।
- यदि कोई घटना घटित होती है या कंपनी के पास ऐसी कोई सूचना उपलब्ध होती है, जिसका उल्लेख **अनुलग्नक -I या II** में नहीं किया गया है, लेकिन जिसका कंपनी पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ सकता है, तो कंपनी उसके संबंध में पर्याप्त प्रकटीकरण करेगी।

- इसके अतिरिक्त, यदि किसी नियामक, वैधानिक, प्रवर्तन या न्यायिक प्राधिकरण से प्राप्त संचार के प्राप्त होने के बाद, सेबी विनियमन के प्रावधानों के अनुसार कंपनी द्वारा किसी घटना या सूचना का प्रकटीकरण किया जाना आवश्यक है, तो कंपनी उस घटना या सूचना के साथ-साथ ऐसी घटना या सूचना का प्रकटीकरण प्राधिकरण की ओर से किया जाना है, निषेध है।

इसके अतिरिक्त, संबंधित विभागाध्यक्ष (एचओडी) अपने संबंधित कार्य क्षेत्रों से जुड़ी किसी भी घटना या सूचना के बारे में कंपनी सचिव को तुरंत सूचना देने के लिए जिम्मेदार होंगे। यदि ऐसी किसी घटना या सूचना का प्रकटीकरण किया जाना आवश्यक है या वह महत्त्वपूर्ण प्रकृति की है, लेकिन संबंधित विभागाध्यक्ष के संज्ञान में नहीं है या बाद में उसे ज्ञात होती है, तो संबंधित विभागाध्यक्ष को इसके बारे में ज्ञात होने पर तुरंत कंपनी सचिव को इसकी सूचना देनी होगी।

ऐसी घटना या सूचना के बारे में संचार प्राप्त होने पर, कंपनी सचिव द्वारा मामले की समीक्षा की जाएगी और तदनुसार प्रकटीकरण किया जाएगा।

स्टॉक एक्सचेंजों को प्रकटीकरण करने के लिए प्राधिकृत व्यक्ति	**प्राधिकृत व्यक्तियों का संपर्क विवरण**
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	**आरईसी वैश्विक मुख्यालय,** **प्लॉट नंबर आई-4, सेक्टर 29, गुरुग्राम।** **फोन: 0124-444 1300 /0124 271 5002** **ई-मेल:** complianceofficer@recindia.com
निदेशक (वित्त)	
कंपनी सचिव	

कंपनी के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (सीएमडी) को प्रकटीकरण करने के लिए जिम्मेदार व्यक्ति (व्यक्तियों) में किसी भी परिवर्तन को मंजूरी देने या इस परियोजन के लिए किसी अन्य केएमपी को नामित करने के लिए अधिकृत किया जाएगा, जैसा कि समय-समय पर आवश्यक हो सकता है।

V. घटनाओं या जानकारी का प्रकटीकरण

1. **कंपनी पहले स्टॉक एक्सचेंज के समक्ष उन सभी घटनाओं या सूचनाओं का प्रकटीकरण करेगी जो इस विनियमन के प्रावधानों के अनुसार महत्वपूर्ण हैं, यथाशीघ्र और किसी भी स्थिति में निम्नलिखित से अधिक नहीं:**

    i. निदेशक मंडल की बैठक के समापन से तीस मिनट के भीतर, जिसमें घटना या सूचना से संबंधित निर्णय लिया गया हो;
    ii. घटना या सूचना के घटित होने से बारह घंटे के भीतर, यदि घटना या सूचना कंपनी के भीतर से उत्पन्न हो रही हो;
    iii. घटना या सूचना के घटित होने से चौबीस घंटे के भीतर, यदि घटना या सूचना कंपनी के भीतर से उत्पन्न नहीं हो रही है:

इसके अतिरिक्त, जिन घटनाओं के लिए समय-सीमा **अनुलग्नक -I** और **अनुलग्नक -II** में निर्दिष्ट की गई है, उनके संबंध में प्रकटीकरण ऐसी समय-सीमा के भीतर किया जाएगा। एलओडीआर विनियमों की अनुसूची - III के भाग क में निर्दिष्ट घटनाओं के प्रकटीकरण के लिए विस्तृत समयसीमा **अनुलग्नक -III** के रूप में संलग्न है।

2. कंपनी इस नीति के **अनुलग्नक-IV** में निर्दिष्ट सभी घटनाओं या सूचनाओं के बारे में स्टॉक एक्सचेंज को तुरंत सूचित करेगी, जो सूचीबद्ध इकाई के प्रदर्शनसंचालन/, मूल्य-संवेदनशील जानकारी या गैर रिडेम्प्शन को प्रभावित करने वाली/परिवर्तनीय ऋण प्रतिभूतियों के ब्याज भुगतान या परिपक्वता- किसी भी कार्रवाई से संबंधित हों।

*स्पष्टीकरण – **'शीघ्र सूचित करें'** से तात्पर्य यह है कि स्टॉक एक्सचेंज को यथाशीघ्र और बिना किसी विलम्ब के सूचित किया जाना चाहिए तथा किसी तीसरे पक्ष को प्रदान करने से पहले सूचना को पहले स्टॉक एक्सचेंज को दी जानी चाहिए।*

3. उपरोक्त प्रकटीकरणों पर होने वाले महत्वपूर्ण कार्यवाही प्रासंगिक स्पष्टीकरण के साथ नियमित आधार पर तब तक किए जाएंगे, जब तक कि घटना का समाधान/समापन नहीं हो जाता।

4. कंपनी किसी भी घटना या जानकारी के संबंध में स्टॉक एक्सचेंज द्वारा उठाए गए सभी प्रश्नों का विशिष्ट और पर्याप्त उत्तर प्रदान करेगी। इसके अलावा, कंपनी, अपनी पहल पर, स्टॉक एक्सचेंज को दी गई किसी भी घटना या सूचना की पुष्टि या खंडन कर सकती है।

VI. कंपनी की वेबसाइट पर सूचना का प्रकटीकरण:

कंपनी अपनी वेबसाइट पर ऐसी सभी घटनाओं या सूचनाओं का प्रकटीकरण करेगी जो इस नीति के तहत स्टॉक एक्सचेंज को बताई गई है, और ऐसे प्रकटीकरण कंपनी की वेबसाइट पर न्यूनतम पांच वर्ष की अवधि के लिए और उसके बाद कंपनी की अभिलेखीय नीति के अनुसार होस्ट किए जाएंगे।

प्रकटीकरण करने के लिए जिम्मेदार केएमपी के संपर्क विवरण स्टॉक एक्सचेंज को बताए जाएंगे और कंपनी की वेबसाइट पर भी उपलब्ध कराए जाएंगे। इसके अलावा, नीति का प्रकटीकरण कंपनी की वेबसाइट पर किया जाएगा।

VII. संशोधन:

आरईसी के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक को समय-समय पर अधिसूचित वैधानिक प्रावधानों में परिवर्तन के आलोक में इस नीति की किसी भी खंड को संशोधन करने की शक्ति होगी।

****

अनुलग्नक- I

वे घटनाएँ जिनका प्रकटीकरण बिना किसी आवश्यक संबंधी दिशा-निर्देशों (सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनिमय, 2015 की अनुसूची III के अनुसार) के लागू किए जाने की आवश्यकता है :

1. अधिग्रहण (अधिग्रहण के लिए समझौते सहित), व्यवस्था की योजना (समेकन, विलय, विभाजन, पुनर्गठन), किसी इकाई (इकाइयों), प्रभाग (विभागों) की बिक्री या निपटान, सूचीबद्ध इकाई के उपक्रम (उपक्रमों) या सहायक कंपनी का संपूर्ण या पर्याप्त हिस्सा, सूचीबद्ध इकाई की सहयोगी कंपनी में हिस्सेदारी की बिक्री या कोई अन्य पुनर्गठन।

स्पष्टीकरण (1) - इस उप - अनुच्छेद के प्रयोजन के लिए, 'अधिग्रहण' शब्द का अर्थ होगा –

i. प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से नियंत्रण प्राप्त करना; या
ii. किसी कंपनी में शेयर या मतदान के अधिकार प्राप्त करना या प्राप्त करने के लिए समझौता करना, चाहे प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से, जैसे कि-

क. सूचीबद्ध इकाई उक्त कंपनी में कुल शेयरों या मतदान अधिकारों का पाँच प्रतिशत या उससे अधिक शेयर या मतदान अधिकार रखती है; या
ख. इस उप-अनुच्छेद के स्पष्टीकरण के खंड (ii) के उप-खंड (क) के तहत किए गए अंतिम प्रकटीकरण से होल्डिंग में परिवर्तन हुआ है और ऐसा परिवर्तन उक्त कंपनी में कुल शेयरधारिता या मतदान अधिकारों के दो प्रतिशत से अधिक है,
ग. अधिग्रहण की लागत या जिस मूल्य पर शेयर अधिग्रहित किए जाते हैं, विनियमन 30 के उप-विनियम) 4) के खंड) 1) के उप-खंड) ग (में निर्दिष्ट सीमा से अधिक है।

स्पष्टीकरण) 2) - इस उप -अनुच्छेद के प्रयोजन के लिए, "सहायक कंपनी की बिक्री या निपटान "और "सहयोगी कंपनी में हिस्सेदारी की बिक्री "में शामिल होंगे-

i. किसी कंपनी में शेयरों या मतदान अधिकारों की बिक्री या बिक्री के लिए एक समझौता, जिससे कंपनी सूचीबद्ध इकाई की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी या सहयोगी कंपनी नहीं रह जाती है; या
ii. किसी सहायक या सहयोगी कंपनी में शेयरों या मतदान अधिकारों को की बिक्री या बिक्री के लिए एक समझौता जैसे कि बिक्री की राशि विनियमन 30 के उप-विनियम (4) के खंड (i) के उप-खंड (ग) में निर्दिष्ट सीमा से अधिक है।

स्पष्टीकरण (3) - इस उप- अनुच्छेद के प्रयोजन के लिए, "उपक्रम" और "मूल रूप से संपूर्ण उपक्रम" का वही अर्थ होगा जो कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 180 के तहत दिया गया है।

2. प्रतिभूतियों को जारी करना या जब्त करना, शेयरों का विभाजन या समेकन, प्रतिभूतियों की पुनर्खरीद, प्रतिभूतियों की हस्तांतरणीयता पर कोई प्रतिबंध या जब्ती सहित मौजूदा प्रतिभूतियों की शर्तों या संरचना में परिवर्तन, जब्त की गई प्रतिभूतियों का पुन :जारी करना, कॉल में परिवर्तन, प्रतिभूतियों का मोचन आदि।

3. नई रेटिंग या रेटिंग में संशोधन

4. निदेशक मंडल की बैठकों का परिणाम: सूचीबद्ध इकाई निम्नलिखित इकाई पर विचार करने के लिए आयोजित बैठक के समापन के 30 मिनट के भीतर स्टॉक एक्स्चेंज को सूचित करेगी:

क) अनुशंसित या घोषित लाभांश और/या नकद बोनस या कोई लाभांश पारित करने का निर्णय और वह तिथि जिस पर लाभांश का भुगतान/प्रेषण किया जाएगा;
ख) लाभांश को उसके कारणों सहित रद्द करना;
ग) प्रतिभूतियों की पुनर्खरीद पर निर्णय,
घ) प्रस्तावित निधि जुटाने के संबंध में निर्णय;
ड़) पूंजीकरण के माध्यम से बोनस शेयर के निर्गम द्वारा पूंजी में वृद्धि, जिसमें वह तिथि शामिल है जिस पर ऐसे बोनस शेयरों को जमा/प्रेषित किया जाएगा;
च) जब्त शेयरों या प्रतिभूतियों पुन: निर्गम, या भविष्य के निर्गम के लिए आरक्षित शेयरों या प्रतिभूतियों का निर्गम या किसी भी रूप या तरीके से नए शेयरों या प्रतिभूतियों या किसी अन्य अधिकार, विशेषाधिकार या लाभ का सृजन;

छ) कॉल सहित पूंजी के किसी अन्य परिवर्तन का संक्षिप्त विवरण;

ज) वित्तीय परिणाम;

झ) सूचीबद्ध इकाई द्वारा स्टॉक एक्सचेंज से स्वैच्छिक डीलिस्टिंग पर निर्णय।

बशर्ते कि बोर्ड की बैठकें एक दिन से अधिक समय के लिए आयोजित की जाती है ,जिस दिन उस पर विचार किया गया है ,उस दिन की बैठक समाप्त होने के तीस मिनट के भीतर वित्तीय परिणाम प्रकट किए जाएंगे।

5. समझौते (जैसे शेयरधारक समझौते, संयुक्त उद्यम समझते, पारिवारिक समझौता (इस सीमा तक कि यह सूचीबद्ध इकाई के प्रबंधन और नियंत्रण को प्रभावित करता है), मीडिया कंपनियों के साथ समझौते/संधि/अनुबंध जो बाध्यकारी हैं और सामान्य व्यवसाय के क्रम में नहीं हैं, उनका संशोधन और समाप्ति।

6. शेयरधारकों, प्रमोटरों, प्रमोटर ममूह संस्थाओं, संबंधित पक्षों, निदेशकों, प्रमुख प्रबंधकीय कर्मियों, सूचीबद्ध संस्था या उसकी होल्डिंग, सहायक या सहयोगी कंपनी के कार्मिक द्वारा आपस में या सूचीबद्ध संस्था के साथ या किसी तीसरे पक्ष के माथ, अकेले या संयुक्त रूप से किए गए समझौते, जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से या संभावित रूप से या जिनका उद्देश्य और प्रभाव सूचीबद्ध संम्था के प्रबंधन या नियंत्रण को प्रभावित करना है या सूचीबद्ध संस्था पर कोई प्रतिबंध लगाना या कोई देयता बनाना है, स्टॉक एक्सचेंजों को प्रकट किए जाएंगे, जिसमें ऐसे समझौतों के किसी भी रद्दीकरण, संशोधन या परिवर्तन का प्रकटीकरण शामिल है, चाहे सूचीबद्ध संस्था ऐसे समझौतों की पक्षकार हो या नहीं:

बशर्ते कि सूचीबद्ध संस्था द्वारा सामान्य व्यवसाय के क्रम में किए गए ऐसे समझौतों का तब तक प्रकटीकरण करने की आवश्यकता नहीं होगी जब तक कि वे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से या संभावित रूप से या जिनका उद्देश्य और प्रभाव सूचीबद्ध संस्था के प्रबंधन या नियंत्रण को प्रभावित करना है या उन्हें इन विनियमों के किसी अन्य प्रावधान के अनुसार प्रकट करने की आवश्यकता नहीं है।

स्पष्टीकरणः इस खंड के प्रयोजन के लिए, "प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में "शब्द में ऐसे समझौते शामिल हैं जो ऐसे समझौतों के पक्षों पर यह सुनिश्चित करने का दायित्व बनाते हैं कि सूचीबद्ध इकाई किसी विशेष तरीके से कार्य करेगी या नहीं करेगी।

7 .किसी सूचीबद्ध इकाई, उसके प्रमोटर, निदेशक, प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक, वरिष्ठ प्रबंधन या सहायक कंपनी द्वारा धोखाधड़ी या चूक या सूचीबद्ध इकाई के प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक, वरिष्ठ प्रबंधन, प्रमोटर या निदेशक की गिरफ्तारी, चाहे वह भारत में हुई हो या विदेश में :

इस उप-अनुच्छेद के प्रयोजन के लिए:

(i) 'धोखाधड़ी' में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड) प्रतिभूति बाजार से संबंधित धोखाधड़ी और अनुचित व्यापार व्यवहारों का निषेध (विनियम, 2003 के विनियम 2(1)(ग (के अंतर्गत परिभाषित धोखाधड़ी शामिल होगी।

(ii) 'डिफ़ॉल्ट' का अर्थ होगा उस तिथि पर ब्याज या मूल राशि का पूर्ण भुगतान नहीं होना, जिस दिन ऋण देय और भुगतान योग्य हो गया हो।

स्पष्टीकरण 1- नकद ऋण जैसी परिक्रामी सुविधाओं के मामले में, यदि बकाया राशि लगातार तीम दिनों से अधिक तक स्वीकृत सीमा या आहरण शक्ति, जो भी कम हो, से अधिक रहती है, तो इकाई को 'डिफ़ॉल्ट' माना जाएगा।

स्पष्टीकरण 2- प्रमोटर, निदेशक, प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक, वरिष्ठ प्रबंधन, सहायक कंपनी द्वारा डिफॉल्ट का अर्थ है वह डिफ़ॉल्ट जिसका सूचीबद्ध इकाई पर प्रभाव पड़ता है या पड़ सकता है।

8. निदेशकों, प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों) प्रबंध निदेशक, मुख्य कार्यपालक अधिकारी, मुख्य वित्तीय अधिकारी, कंपनी सचिव आदि(, [वरिष्ठ प्रबंधन,] लेखा परीक्षक और अनुपालन अधिकारी में परिवर्तन।

9. सूचीबद्ध इकाई के लेखा परीक्षक के त्यागपत्र की स्थिति में, उक्त लेखा परीक्षक द्वारा दिए गए त्यागपत्र के विस्तृत कारणों को सूचीबद्ध संस्थाओं द्वारा यथाशीघ्र स्टॉक एक्सचेंजों के समक्ष प्रकट किया जाएगा, लेकिन लेखा परीक्षक से ऐसे कारणों की प्राप्ति के चौबीस घंटे के भीतर।

10. त्यागपत्र के कारणों सहित स्वतंत्र निदेशक का त्यागपत्रः सूचीबद्ध इकाई के स्वतंत्र निदेशक के त्यागपत्र की स्थिति में, त्यागपत्र की तिथि से सात दिनों के भीतर, सूचीबद्ध संस्थाओं द्वारा स्टॉक एक्सचेंजों के समक्ष निम्नलिखित प्रकटीकरण किए जाएंगेः

(i) उक्त निदेशक द्वारा दिए गए त्यागपत्र के विस्तृत कारणों सहित त्यागपत्र।

(ii) उन सूचीबद्ध संस्थाओं के नाम जिनमें त्यागपत्र देने वाला निदेशक, निदेशक पद पर है, जिसमें निदेशक पद की श्रेणी और बोर्ड समितियों की सदस्यता, यदि कोई हो, दर्शाई जाएगी।

(iii) स्वतंत्र निदेशक को विस्तृत कारणों के साथ यह पुष्टि भी देनी होगी कि दिए गए कारणों के अलावा कोई अन्य भौतिक कारण नहीं है।

(iv) स्वतंत्र निदेशक द्वारा दी गई पुष्टि को सूचीबद्ध संस्थाओं द्वारा स्टॉक एक्सचेंजों के समक्ष उपरोक्त उप-खंड (i) और (ii) में निर्दिष्ट प्रकटीकरणों के साथ प्रकट किया जाएगा।

11. स्वतंत्र निदेशक के अलावा प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक, वरिष्ठ प्रबंधन, अनुपालन अधिकारी या निदेशक के त्यागपत्र के मामले में, प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक, वरिष्ठ प्रबंधन, अनुपालन अधिकारी या निदेशक द्वारा दिए गए त्यागपत्र के विस्तृत कारणों के साथ सूचीबद्ध संस्थाओं द्वारा ऐसे त्यागपत्र के प्रभावी होने की तिथि से सात दिनों के भीतर स्टॉक एक्सचेंजों के समक्ष प्रकट किया जाएगा।

12. यदि सूचीबद्ध इकाई का प्रबंध निदेशक या मुख्य कार्यपालक अधिकारी नब्बे दिनों की किसी भी रोलिंग अवधि में पैंतालीस दिनों से अधिक समय तक नियमित रूप में भूमिका की आवश्यकताओं को

पूरा करने के लिए अस्वस्थ या अनुपलब्ध था, तो ऐसी अस्वस्थता या अनुपलब्धता के कारणों के साथ-साथ स्टॉक एक्सचेंज को इसका प्रकटीकरण किया जाएगा।

13. शेयर ट्रांसफर एजेंट की नियुक्ति या नियुक्ति की समाप्ति।

14. बैंकों/वित्तीय संस्थानों से ऋण/उधार के संबंध में समाधान योजना/पुनर्गठन जिसमें निम्नलिखित विवरण शामिल हैं:

(i) ऋण/उधार के समाधान की पहल करने का निर्णय;

(ii) ऋणदाताओं द्वारा अंतर-ऋणदाता समझौते) आईसीए (पर हस्ताक्षर;

(iii) समाधान योजना को अंतिम रूप देना;

(iv) समाधान योजना का कार्यान्वयन;

(v) ऋणदाताओं द्वारा तय समाधान/पुनर्गठन योजना की मुख्य विशेषताएँ, जिनमें वाणिज्यिक रहस्य शामिल नहीं है।

15 बैंक के साथ एकमुश्त समझौता।

16. किसी भी पक्ष/ऋणदाता द्वारा दायर समापन याचिका।

17. शेयरधारकों, डिबेंचर धारकों या ऋणदाताओं या उनमें से किसी भी वर्ग को भेजे गए नोटिस, कॉल लेटर, संकल्प और परिपत्र जारी करना या सूचीबद्ध इकाई द्वारा मीडिया में विज्ञापित करना।

18. सूचीबद्ध इकाई की वार्षिक और असाधारण आम बैठकों की कार्यवाही।

19. सूचीबद्ध इकाई के ज्ञापन और एसोसिएशन के लेखों में संशोधन, संक्षेप में।

20. (क) विश्लेषकों या संस्थागत निवेशकों की बैठकों की अनुसूची कम से कम दो कार्य दिवस पहले (छोड़कर को तिथि की बैठक और तिथि की सूचना)और सूचीबद्ध इकाई द्वारा विश्लेषकों या संस्थागत निवेशकों को दी गई प्रस्तुतियाँ।

स्पष्टीकरण: इस खंड के प्रयोजन के लिए 'बैठक' का अर्थ समूह बैठकें या समूह सम्मेलन कॉल होगा जो भौतिक रूप से या डिजिटल माध्यम से आयोजित की जाती हैं।

(ख) पोस्ट अर्निंग/त्रैमासिक कॉल की ऑडियो या वीडियो रिकॉर्डिंग और प्रतिलिपियाँ, चाहे किसी भी नाम से पुकारी जाएँ, भौतिक रूप से या डिजिटल माध्यमों से आयोजित की जाएँ, मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज (एक्सचेंजों) को प्रस्तुत करने के साथ साथ, निम्नलिखित तरीके से:

(i) प्रस्तुति और ऑडियो/वीडियो रिकॉर्डिंग तुरंत वेबसाइट पर उपलब्ध कराई जाएँगी और किसी भी मामले में, अगले कारोबारी दिन से पहले या ऐसे कॉल के समापन से चौबीस घंटे के भीतर, जो भी पहले हो;

(ii) ऐसी कॉल की प्रतिलिपियां ऐसी कॉल के समापन के पांच कार्य दिवसों के भीतर वेबसाइट पर उपलब्ध करा दी जाएंगी:

21. दिवाला संहिता के अंतर्गत सूचीबद्ध निगम देनदार की निगम दिवाला समाधान प्रक्रिया (सीआईआरपी) के संबंध में निम्नलिखित घटनाएँ:

क) निगम आवेदक द्वारा सीआईआरपी आरंभ करने के लिए आवेदन दाखिल करना, जिसमें चूक की राशि भी निर्दिष्ट की गई हो;
ख) निगम देनदार के विरुद्ध सीआईआरपी आरंभ करने के लिए वित्तीय लेनदारों द्वारा आवेदन दाखिल करना, जिसमें चूक की राशि भी निर्दिष्ट की गई हो;
ग) न्यायाधिकरण द्वारा आवेदन की स्वीकृति, साथ ही चूक या अस्वीकृति या बापमी की राशि, जैसा भी लागू हो;
घ) दिवाला संहिता की धारा 13 के अंतर्गत न्यायाधिकरण द्वारा पारित आदेश के अनुसरण में की गई सार्वजनिक घोषणा;
ङ) आईबीबीआई (निगम के व्यक्तियों के लिए दिवाला समाधान प्रक्रिया) विनियम, 2016 के विनियम 13(2) (ग) के अंतर्गत निगम देनदार द्वारा प्रदर्शित किए जाने के लिए अपेक्षित लेनदारों की सूची;
च) समाधान पेशेवर की नियुक्ति/प्रतिस्थापनः
छ) लेनदारों की समिति की बैठकों की पूर्व या बाद में सूचनाः
ज) आईबीबीआई (निगम व्यक्तियों के लिए दिवालियापन समाधान प्रक्रिया) विनियम, 2016 के विनियमन 36 क (5) के अंतर्गत निर्दिष्ट प्रपत्र में दिवालियापन संहिता की धारा 25 (2) (ज) के अंतर्गत समाधान योजनाओं के आमंत्रण का संक्षिप्त विवरण;
झ) समाधान पेशेवर द्वारा प्राप्त समाधान योजनाओं की संख्या;
ञ) न्यायाधिकरण के समक्ष समाधान योजना दाखिल करना;
ट) न्यायाधिकरण द्वारा समाधान योजना का अनुमोदन या अस्वीकृति, यदि लागू हो;
ठ) दिवालियापन संहिता के अंतर्गत न्यायाधिकरण द्वारा अनुमोदित समाधान योजना की विशिष्ट विशेषताएं और विवरण, जिसमें वाणिज्यिक रहस्य शामिल न हों, जिसमें निम्नलिखित विवरण शामिल हों:

(i) कंपनी का पूर्व और पश्चात निवल मूल्य,
(ii) सीआईआरपी के पश्चात कंपनी की परिसंपत्तियों का विवरण;
(iii) कंपनियों की परिसंपत्तियों पर लगाए जाने वाले प्रतिभूतियों का विवरण;
(iv) कंपनी पर लगाए गए अन्य भौतिक दायित्व;
(v) परिवर्तनीय प्रतिभूतियों के 100% रूपांतरण को मानते हुए लेबरधारिता से पहले और बाद का विस्तृत पैटर्न;
(vi) कंपनी में निवेश किए गए फंड, भुगतान किए गए लेनदारों का विवरण;
(vii) लेनदेन के कारण आने वाले निवेशकों पर अतिरिक्त देयता, ऐसे वित्तपोषण का स्रोत आदि;
(viii) निवेशक पर प्रभाव - संशोधित पी/ई, आरओएनडब्ल्यू अनुपात आदि;
(ix) नए प्रमोटरों, प्रमुख प्रबंधकीय कर्मियों के नाम, यदि कोई हो और व्यवसाय या रोजगार में उनका पिछला अनुभव। ऐसे मामले में जहां प्रमोटर कंपनियां हैं, ऐसी कंपनी का इतिहास और नियंत्रण में प्राकृतिक व्यक्तियों के नाम;
(x) व्यवसाय रणनीति का संक्षिप्त विवरण।

ड) कोई अन्य महत्वपूर्ण जानकारी जिनमें वाणिज्यिक रहस्य शामिल न हों।
ढ) एमपीएस प्राप्त करने के लिए आने वाले निवेशक/अधिग्रहणकर्ता द्वारा उठाए जाने वाले प्रस्तावित कदम,
ण) एमपीएस प्राप्त करने की स्थिति का तिमाही प्रकटीकरण;

त) समाधान योजना में अनुमोदित डीलिस्टिंग योजनाओं के बारे में विवरण।

22. फोरेंसिक ऑडिट की शुरुआत: फोरेंसिक ऑडिट (चाहे किसी भी नाम से) की शुरुआत के मामले में, सूचीबद्ध संस्थाओं द्वारा स्टॉक एक्सचेंजों को निम्नलिखित प्रकटीकरण किए जाएंगे:

क. फोरेंसिक ऑडिट की शुरुआत का तथ्य, ऑडिट शुरू करने वाली संस्था का नाम और इसके कारण, यदि उपलब्ध हों;
ख. सूचीबद्ध संस्था द्वारा प्राप्त होने पर अंतिम फोरेंसिक ऑडिट रिपोर्ट (विनियामक/प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा शुरू की गई फोरेंसिक ऑडिट के अलावा) प्रबंधन की टिप्पणियों के साथ, यदि कोई हो।

23. किसी सूचीबद्ध संस्था के निदेशकों, प्रमोटरों, प्रमुख प्रबंधकीय कर्मियों या वरिष्ठ प्रबंधन द्वारा सोशल मीडिया मध्यस्थों या मुख्यधारा के मीडिया के माध्यम से किसी घटना या सूचना के संबंध में घोषणा या संचार, जो इन विनियमों के विनियमन 30 के संदर्भ में सूचीबद्ध संस्था के लिए महत्वपूर्ण है और सूचीबद्ध संस्था द्वारा पहले से ही सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध नहीं कराई गई है।
स्पष्टीकरण- 'सोशल मीडिया मध्यस्थों का वही अर्थ होगा जैसा कि सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यस्थ दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम, 2021 के तहत परिभाषित किया गया है।

24. सूचीबद्ध इकाई या उसके निदेशकों, मुख्य प्रबंधकीय कर्मियों, वरिष्ठ प्रबंधन, प्रमोटरों या सहायक कंपनी के खिलाफ, सूचीबद्ध इकाई के संबंध में, किसी भी नियामक, वैधानिक, प्रवर्तन प्राधिकरण या न्यायिक निकाय द्वारा निम्नलिखित के संबंध में शुरू की गई कार्रवाई या पारित आदेश:

(क) तलाशी या जब्ती; अथवा

(ख) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 130 के तहत खातों को पुन: खोलना; अथवा

(ग) कंपनी अधिनियम, 2013 के अध्याय XIV के प्रावधानों के तहत जांच, साथ ही शुरू की गई, की गई कार्रवाई या पारित आदेशों से संबंधित निम्नलिखित विवरण:

(i) प्राधिकरण का नाम;

(ii) आरंभ की गई कार्रवाई या पारित आदेश (आदेशों) की प्रकृति और विवरण;

(iii) प्राधिकरण से निर्देश या आदेश प्राप्त होने की तिथि, जिसमें कोई भी तदर्थ-अंतरिम या अंतरिम आदेश, या कोई अन्य सूचना शामिल है;

(iv) किए गए या कथित रूप से किए गए उल्लंघन (उल्लंघनों) / उल्लंघन (नियम-विरुद्ध कार्य) का विवरण;

(v) सूचीबद्ध इकाई की वित्तीय, परिचालन या अन्य गतिविधियों पर प्रभाव, जहां तक संभव हो मौद्रिक संदर्भ में मात्रा निर्धारित की जा सके।

25. सूचीबद्ध इकाई या उसके निदेशकों, मुख्य प्रबंधकीय कर्मियों, वरिष्ठ प्रबंधन, प्रमोटर या सहायक कंपनी के विरुद्ध, सूचीबद्ध इकाई के संबंध में, किसी भी नियामक, वैधानिक, प्रवर्तन प्राधिकरण या न्यायिक निकाय द्वारा निम्नलिखित के संबंध में की गई कार्रवाई या पारित आदेश:

(क) निलंबन;

(ख) जुर्माना या पेनल्टी लगाना;

(ग) कार्यवाही का निपटान;

(घ) विवर्जन / रोक लगाना;

(ङ) अयोग्यता;

(च) परिचालन बंद करना;

(छ) लगाए गए प्रतिबंध;

(ज) चेतावनी या सावधानी; अथवा

(झ) किसी भी अन्य नाम से पुकारी जाने वाली इसी तरह की अन्य कार्रवाई (कार्रवाइयों); शुरू की गई, कार्रवाई(कार्रवाइयों); या पारित आदेश (आदेशों)से संबंधित निम्नलिखित विवरणों के साथ:

i. प्राधिकरण का नाम;

ii. शुरू की गई कार्रवाई या पारित आदेश (आदेशों) की प्रकृति और विवरण;

iii. प्राधिकरण से निर्देश या आदेश प्राप्त होने की तिथि, जिसमें कोई भी तदर्थ-अंतरिम या अंतरिम आदेश, या कोई अन्य सूचना शामिल है;

iv. किए गए या कथित रूप से किए गए उल्लंघन (उल्लंघनों) / नियम-विरुद्ध कार्य का विवरण;

v. सूचीबद्ध इकाई की वित्तीय, परिचालन या अन्य गतिविधियों पर प्रभाव, जहाँ तक संभव हो मौद्रिक संदर्भ में मात्रा निर्धारित की जा सके।

26. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 131 के तहत सूचीबद्ध इकाई के वित्तीय विवरणों या निदेशक मंडल की रिपोर्ट का स्वैच्छिक संशोधन।

अनुलग्नक –II

वे घटनाएँ जिनका प्रकटीकरण बिना किसी आवश्यक संबंधी दिशा-निर्देशों (सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनिमय, 2015 की अनुसूची III के अनुसार) के लागू किए जाने की आवश्यकता है :

1. किसी भी इकाई/विभाग के वाणिज्यिक उत्पादन या वाणिज्यिक संचालन की शुरुआत या उसकी शुरुआत की तारीख में किया गया कोई भी स्थगन।

2. सूचीबद्ध इकाई से संबंधित निम्नलिखित में से कोई भी घटना:

(क) रणनीतिक, तकनीकी, विनिर्माण, या विपणन सहयोग के लिए प्रबंध; या

(ख) नए व्यवसायिक क्षेत्रों को अपनाना; या

(ग) किसी इकाई, विभाग या सहायक कंपनी के संचालन को बंद करना (समग्र या आंशिक रूप से)।

3. क्षमता संवर्धन या उत्पाद लॉन्च।

4. व्यावसाय के सामान्य संचालन के अलावा कोई ऑर्डर/अनुबंध का मिलना, प्राप्त करना, संशोधन या उसे समाप्त करना।

5. ऐसे समझौते (उदा. ऋण समझौता या कोई अन्य समझौता जो बाध्यकारी हो और व्यावसाय के सामान्य संचालन का हिस्सा न हो) और उनके संशोधन, परिवर्तन या समाप्ति।

6. प्राकृतिक आपदा (भूकंप, बाढ़, आग, आदि), अपरिहार्य परिस्थितियों, या हड़ताल, लॉकआउट जैसी घटनाओं के कारण सूचीबद्ध इकाई की एक या अधिक इकाइयों या विभागों के संचालन में व्यवधान।

7. सूचीबद्ध इकाई पर लागू नियामक ढांचे में परिवर्तन से उत्पन्न प्रभाव।

8 .सूचीबद्ध इकाई पर प्रभाव डाल सकने वाले किसी भी मुकदमे या विवाद की लंबितता या उनके परिणाम।

9. सूचीबद्ध इकाई के कार्मिक द्वारा की गई धोखाधड़ी या चूक, जिसका सूचीबद्ध इकाई पर प्रभाव पड़ता है या पड़ सकता है।

10. प्रतिभूतियों को खरीदने के विकल्प, जिसमें कोई भी ईएसओपी/ईएसपीएस योजना शामिल है।

11 . किसी तीसरे पक्ष के लिए गारंटी या क्षतिपूर्ति देना या जमानतदार बनना, चाहे किसी भी नाम से जाना जाता हो।

12. प्रमुख लाइसेंस या नियामक अनुमोदनों को प्रदान करना, वापस लेना, आत्मसमर्पण करना, रद्द करना या निलंबित करना।

13. किसी नियामक, वैधानिक, प्रवर्तन या न्यायिक प्राधिकरण को जुर्माने, दंड, बकाया राशि आदि के भुगतान में देरी या चूक।

14. कोई भी अन्य जानकारी/घटना, जैसे कि प्रमुख विकास जिससे व्यवसाय प्रभावित होने की संभावना हो, उदाहरण के लिए: नई तकनीकों का उद्भव, पेटेंट की समाप्ति, लेखांकन नीति में कोई भी बदलाव जिसका खातों पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ सकता है, आदि और उनका संक्षिप्त विवरण, तथा कोई भी अन्य जानकारी जो विशेष रूप से सूचीबद्ध इकाई को ज्ञात हो और जो प्रतिभूति धारकों को अपनी स्थिति का मूल्यांकन करने और उन प्रतिभूतियों के लिए बाजार में गलत धारणा बनने से रोकने के लिए आवश्यक हो।

15. उपरोक्त अनुच्छेदों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, कंपनी समय-समय पर बोर्ड द्वारा निर्दिष्ट घटनाओं/जानकारी का प्रकटीकरण कर सकती है।

अनुलग्नक III

एलओडीआर विनियमों की अनुसूची III के भाग क में निर्दिष्ट घटनाओं के प्रकटीकरण के लिए समयसीमा।

अनुच्छेद/ उप-अनुच्छेद	कार्यक्रम	प्रकटीकरण के लिए समय सीमा
क.	**ऐसी घटनाएँ जिनका प्रकटीकरण विनियम (30) के उप-विनियम (4) में निर्दिष्ट महत्वपूर्णता के दिशानिर्देशों को लागू किए बिना किया जाएगा:**	
1.	अधिग्रहण (अधिग्रहण हेतु समझौते सहित), व्यवस्था की योजना (समामेलन/विलय/विभाजन/पुनर्गठन), सूचीबद्ध इकाई की किसी भी इकाई, विभाग, उपक्रम या सहायक कंपनी की पूर्ण रूप से या उसके पर्याप्त हिस्से की बिक्री या निपटान, सूचीबद्ध इकाई की सहयोगी कंपनी में हिस्सेदारी की बिक्री या कोई अन्य पुनर्गठन।	12 घंटे के भीतर*
2.	प्रतिभूतियों को जारी करना या उनकी जब्ती, शेयरों का विभाजन या समेकन, प्रतिभूतियों की पुनर्खरीद, प्रतिभूतियों की हस्तांतरणीयता पर कोई प्रतिबंध या मौजूदा प्रतिभूतियों की शर्तों या संरचना में बदलाव, जिसमें जब्ती, जब्त प्रतिभूतियों को पुन: जारी करना, बकाया मांग में परिवर्तन, प्रतिभूतियों का मोचन आदि शामिल हैं।	12 घंटे के भीतर*
3.	नई रेटिंग या रेटिंग में संशोधन।	24 घंटे के भीतर
4.	निदेशक मंडल की बैठकों का परिणाम	बैठक के समापन के 30 मिनट के भीतर
5.	समझौते (जैसे शेयरधारक समझौते, संयुक्त उद्यम समझते, पारिवारिक समझौता (इस सीमा तक कि यह सूचीबद्ध इकाई के प्रबंधन और नियंत्रण को प्रभावित करता है), मीडिया कंपनियों के साथ समझौते/संधि/अनुबंध जो बाध्यकारी हैं और सामान्य व्यवसाय के क्रम में नहीं हैं, उनका संशोधन वा संशोधन और समाप्ति।	12 घंटों के भीतर (उन समझौतों के लिए जहां सूचीबद्ध इकाई एक पार्टी है), 24 घंटों के भीतर (उन समझौतों के लिए जहां सूचीबद्ध इकाई एक पार्टी नहीं है)।
5 क.	शेयरधारकों, प्रमोटरों, प्रमोटर ममूह संस्थाओं, संबंधित पक्षों, निदेशकों, प्रमुख प्रबंधकीय कर्मियों, सूचीबद्ध संस्था या उसकी होल्डिंग, सहायक या सहयोगी कंपनी के कार्मिक द्वारा आपस में या सूचीबद्ध संस्था के साथ या किसी तीसरे पक्ष के माथ, अकेले या संयुक्त रूप से	12 घंटे के भीतर (उन समझौतों के लिए जिनमें सूचीबद्ध इकाई एक पक्ष है);* 24 घंटे के भीतर (उन समझौतों के लिए जिनमें सूचीबद्ध इकाई पक्ष नहीं है)।*

	किए गए समझौते, जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से या संभावित रूप से या जिनका उद्देश्य और प्रभाव सूचीबद्ध संम्था के प्रबंधन या नियंत्रण को प्रभावित करना है या सूचीबद्ध संस्था पर कोई प्रतिबंध लगाना या कोई देयता बनाना है, स्टॉक एक्सचेंजों को प्रकट किए जाएंगे, जिसमें ऐसे समझौतों के किसी भी रद्दीकरण, संशोधन या परिवर्तन का प्रकटीकरण शामिल है, चाहे सूचीबद्ध संस्था ऐसे समझौतों की पक्षकार हो या नहीं: बशर्ते कि सूचीबद्ध संस्था द्वारा सामान्य व्यवसाय के क्रम में किए गए ऐसे समझौतों का तब तक प्रकटीकरण करने की आवश्यकता नहीं होगी जब तक कि वे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से या संभावित रूप से या जिनका उद्देश्य और प्रभाव सूचीबद्ध संस्था के प्रबंधन या नियंत्रण को प्रभावित करना है या उन्हें इन विनियमों के किसी अन्य प्रावधान के अनुसार प्रकट करने की आवश्यकता नहीं है।	
6.	सूचीबद्ध इकाई, उसके प्रमोटर, निदेशक, प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक, वरिष्ठ प्रबंधन या सहायक कंपनी द्वारा धोखाधड़ी या चूक या सूचीबद्ध इकाई के प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक, वरिष्ठ प्रबंधन, प्रमोटर या निदेशक की गिरफ्तारी, चाहे वह भारत में हुई हो या विदेश में।	24 घंटे के भीतर
7.	निदेशकों, प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों (प्रबंध निदेशक, मुख्य कार्यपालक अधिकारी, मुख्य वित्तीय अधिकारी, कंपनी सचिव आदि), वरिष्ठ प्रबंधन, लेखा परीक्षक और अनुपालन अधिकारी में परिवर्तन।	12 घंटे के भीतर * (इस्तीफे के मामले को छोड़कर), 24 घंटे के भीतर (इस्तीफे के मामले में)
7 क.	सूचीबद्ध इकाई के लेखा परीक्षक के त्यागपत्र की स्थिति में, उक्त लेखा परीक्षक द्वारा दिए गए त्यागपत्र के विस्तृत कारण	लेखा परीक्षक से ऐसे कारणों की प्राप्ति के 24 घंटे के भीतर।
7 ख.	त्यागपत्र के कारणों सहित स्वतंत्र निदेशक का त्यागपत्र।	त्यागपत्र की तिथि से सात दिनों के भीतर।
7 ग.	प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक, वरिष्ठ प्रबंधन, अनुपालन अधिकारी या निदेशक द्वारा दिए गए त्यागपत्र के विस्तृत कारणों के साथ त्यागपत्र।	ऐसे त्यागपत्र के प्रभाव में आने की तिथि से सात दिनों के भीतर।
7 घ.	यदि सूचीबद्ध इकाई का प्रबंध निदेशक या मुख्य कार्यपालक अधिकारी नब्बे दिनों की किसी भी रोलिंग अवधि में पैंतालीस	12 घंटे के भीतर*

	दिनों से अधिक समय तक नियमित रूप में भूमिका की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अस्वस्थ या अनुपलब्ध था, तो ऐसी अस्वस्थता या अनुपलब्धता के कारणों के साथ-साथ स्टॉक एक्सचेंज को इसका प्रकटीकरण किया जाएगा।	
8.	शेयर ट्रांसफर एजेंट की नियुक्ति या नियुक्ति की समाप्ति	12 घंटे के भीतर*
9.	बैंकों/वित्तीय संस्थानों से लिए गए ऋण/उधार के संबंध में समाधान योजना या पुनर्गठन।	24 घंटे के भीतर
10.	बैंक के साथ एकमुश्त समझौता	24 घंटे के भीतर
11.	किसी भी पक्ष/ऋणदाता द्वारा दायर समापन याचिका।	24 घंटे के भीतर
12.	शेयरधारकों, डिबेंचर धारकों या ऋणदाताओं या उनमें से किसी भी वर्ग को भेजे गए नोटिस, कॉल लेटर, संकल्प और परिपत्र जारी करना या सूचीबद्ध इकाई द्वारा मीडिया में विज्ञापित करना।	12 घंटे के भीतर*
13.	सूचीबद्ध इकाई की वार्षिक और असाधारण आम बैठकों की कार्यवाही।	12 घंटे के भीतर*
14.	सूचीबद्ध इकाई के ज्ञापन और एसोसिएशन के लेखों में संशोधन, संक्षेप में।	12 घंटे के भीतर*
15.	(क) विश्लेषकों या संस्थागत निवेशकों की बैठकों की अनुसूची और सूचीबद्ध इकाई द्वारा विश्लेषकों या संस्थागत निवेशकों को दी गई प्रस्तुतियाँ। (ख) पोस्ट अर्निंग/त्रैमासिक कॉल की ऑडियो या वीडियो रिकॉर्डिंग और ट्रांस्क्रिप्ट, चाहे वे भौतिक रूप से या डिजिटल माध्यमों से आयोजित की जाएँ।	अनुलग्नक -I में निर्दिष्ट समय सीमा के भीतर।
16.	दिवाला संहिता के अंतर्गत सूचीबद्ध निगम देनदार की निगम दिवाला समाधान प्रक्रिया (सीआईआरपी) के संबंध में घटनाएं।	24 घंटे के भीतर*
17.	फोरेंसिक ऑडिट की शुरुआत: फोरेंसिक ऑडिट की शुरुआत के मामले में, (चाहे किसी भी नाम से हो), सूचीबद्ध संस्थाओं द्वारा स्टॉक एक्सचेंजों को निम्नलिखित प्रकटीकरण किए जाएंगे: (क) ऑडिट शुरू करने वाली संस्था का नाम के साथ फोरेंसिक ऑडिट की शुरुआत का तथ्य और उसके कारण, यदि उपलब्ध हो;	12 घंटे के भीतर (यदि सूचीबद्ध इकाई द्वारा शुरू किया गया है); 24 घंटे के भीतर (यदि बाहरी एजेंसी द्वारा शुरू किया गया है)।

	(ख) सूचीबद्ध संस्था द्वारा प्राप्त होने पर अंतिम फोरेंसिक ऑडिट रिपोर्ट (विनियामक/प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा शुरू की गई फोरेंसिक ऑडिट के अलावा) प्रबंधन की टिप्पणियों के साथ, यदि कोई हो।	
18.	सूचीबद्ध संस्था के निदेशकों, प्रमोटरों, प्रमुख प्रबंधकीय कर्मियों या वरिष्ठ प्रबंधन द्वारा सोशल मीडिया मध्यस्थों या मुख्यधारा के मीडिया के माध्यम से ऐसी किसी भी घटना या जानकारी के संबंध में की गई घोषणा या संचार, जो इन विनियमों के विनियम 30 के अनुसार सूचीबद्ध इकाई के लिए महत्वपूर्ण है और सूचीबद्ध इकाई द्वारा पहले से सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध नहीं कराई गई है।	24 घंटे के भीतर
19.	सूचीबद्ध इकाई या उसके निदेशकों, मुख्य प्रबंधकीय कर्मियों, वरिष्ठ प्रबंधन, प्रमोटरों या सहायक कंपनी के खिलाफ, सूचीबद्ध इकाई के संबंध में, किसी भी नियामक, वैधानिक, प्रवर्तन प्राधिकरण या न्यायिक निकाय द्वारा निम्नलिखित के संबंध में शुरू की गई कार्रवाई या पारित आदेश: (क) तलाशी या जब्ती; अथवा (ख) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 130 के तहत खातों को पुन: खोलना; अथवा (ग) कंपनी अधिनियम, 2013 के अध्याय XIV के प्रावधानों के तहत जांच;	24 घंटे के भीतर
20.	सूचीबद्ध इकाई या उसके निदेशकों, मुख्य प्रबंधकीय कर्मियों, वरिष्ठ प्रबंधन, प्रमोटर या सहायक कंपनी के विरुद्ध, सूचीबद्ध इकाई के संबंध में, किसी भी नियामक, वैधानिक, प्रवर्तन प्राधिकरण या न्यायिक निकाय द्वारा निम्नलिखित के संबंध में की गई कार्रवाई या पारित आदेश: (क) निलंबन; (ख) जुर्माना या पेनल्टी लगाना; (ग) कार्यवाही का निपटान;	24 घंटे के भीतर

	(घ) विवर्जन / रोक लगाना; (ङ) अयोग्यता; (च) परिचालन बंद करना; (छ) लगाए गए प्रतिबंध; (ज) चेतावनी या सावधानी; अथवा (झ) किसी भी अन्य नाम से पुकारी जाने वाली इसी तरह की अन्य कार्रवाई(यां);	
21.	कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 131 के तहत सूचीबद्ध इकाई के वित्तीय विवरणों या निदेशक मंडल की रिपोर्ट का स्वैच्छिक संशोधन।	12 घंटे के भीतर*
ख.	**ख. ऐसी घटनाएँ जिनका प्रकटीकरण विनियम (30) के उप-विनियम (4) में निर्दिष्ट महत्वपूर्णता के दिशा-निर्देशों को लागू करने पर किया जाएगा।**	
1.	किसी भी इकाई विभाग के वाणिज्यिक/ उत्पादन या वाणिज्यिकसंचालन की शुरुआत या उसकी शुरुआत की तारीख में किया गया कोई भी स्थगन।	12 घंटे के भीतर*
2.	सूचीबद्ध इकाई से संबंधित निम्नलिखित में से कोई भी घटना: (i) रणनीतिक, तकनीकी, विनिर्माण, या विपणन सहयोग के लिए प्रबंध; या (ii) नए व्यवसायिक क्षेत्रों को अपनाना; या (iii) किसी इकाई, विभाग या सहायक कंपनी के संचालन को बंद करना (समग्र या आंशिक रूप से)।	12 घंटे के भीतर*
3.	क्षमता संवर्धन या उत्पाद लॉन्च।	12 घंटे के भीतर*
4.	व्यावसाय के सामान्य संचालन के अलावा कोई ऑर्डर/अनुबंध का मिलना, प्राप्त करना, संशोधन या उसे समाप्त करना।	24 घंटे के भीतर
5.	ऐसे समझौते (उदा. ऋण समझौता या कोई अन्य समझौता जो बाध्यकारी हो और व्यावसाय के सामान्य संचालन का हिस्सा न हो) और उनके संशोधन, परिवर्तन या समाप्ति।	12 घंटों के भीतर* (उन समझौतों के लिए जहां सूचीबद्ध इकाई एक पार्टी है); 24 घंटों के भीतर (उन समझौतों के लिए जहां सूचीबद्ध इकाई एक पार्टी नहीं है);

6.	प्राकृतिक आपदा (भूकंप, बाढ़, आग, आदि), अपरिहार्य परिस्थितियों, या हड़ताल, लॉकआउट जैसी घटनाओं के कारण सूचीबद्ध इकाई की एक या अधिक इकाइयों या विभागों के संचालन में व्यवधान।	24 घंटों के भीतर
7.	सूचीबद्ध इकाई पर लागू नियामक ढांचे में परिवर्तन से उत्पन्न प्रभाव ।	24 घंटों के भीतर
8.	सूचीबद्ध इकाई पर प्रभाव डाल सकने वाले किसी भी मुकदमे या विवाद की लंबितता या उनके परिणाम।	24 घंटों के भीतर
9.	सूचीबद्ध इकाई के कार्मिक द्वारा किए गए ऐसे धोखाधड़ी या चूक जो सूचीबद्ध इकाई पर प्रभाव डालते हैं या डाल सकते हैं।	24 घंटों के भीतर
10.	प्रतिभूतियों को खरीदने के विकल्प, जिसमें कोई भी ईएसओपी/ईएसपीएस योजना शामिल है।	12 घंटों के भीतर*
11.	किसी तीसरे पक्ष के लिए गारंटी या क्षतिपूर्ति देना या जमानतदार बनना, चाहे किसी भी नाम से जाना जाता हो।	12 घंटों के भीतर*
12.	प्रमुख लाइसेंस या नियामक अनुमोदन प्रदान करना, वापस लेना, आत्मसमर्पण करना, रद्द करना या निलंबित करना।	24 घंटों के भीतर
13.	किसी नियामक, वैधानिक, प्रवर्तन या न्यायिक प्राधिकरण को जुर्माने, दंड, बकाया राशि आदि के भुगतान में देरी या चूक।	12 घंटों के भीतर*
ग.	कोई भी अन्य जानकारी/घटना, जैसे कि प्रमुख विकास जिससे व्यवसाय प्रभावित होने की संभावना हो, उदाहरण के लिए: नई तकनीकों का उद्भव, पेटेंट की समाप्ति, लेखांकन नीति में कोई भी बदलाव जिसका खातों पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ सकता है, आदि और उनका संक्षिप्त विवरण; तथा कोई भी अन्य जानकारी जो विशेष रूप से सूचीबद्ध इकाई को ज्ञात हो और जो प्रतिभूति धारकों को अपनी स्थिति का मूल्यांकन करने और उन प्रतिभूतियों के लिए बाजार में गलत धारणा बनने से रोकने के लिए आवश्यक हो।	24 घंटों के भीतर
घ.	उपरोक्त अनुच्छेद (क), (ख) और (ग) की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, सूचीबद्ध इकाई समय-समय पर बोर्ड द्वारा निर्दिष्ट घटना/जानकारी का प्रकटीकरण कर सकती है।	बोर्ड द्वारा निर्दिष्ट समय सीमा।

* **टिप्पणी:** यदि कोई घटना या सूचना निदेशक मंडल की बैठक में लिए गए निर्णय से उत्पन्न होती है, तो उसका प्रकटीकरण उपरोक्त तालिका में दर्शाई गई समय-सीमा के बजाय ऐसी बैठक की समाप्ति के तीस मिनट के भीतर किया जाएगा।

अनुलग्नक- IV

सेबी (सूचीबद्धता दायित्व एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 के अनुसूची III के भाग ख के अनुसार, ऐसी जानकारी का प्रकटीकरण आवश्यक है जिसका कंपनी के प्रदर्शन/संचालन पर प्रभाव हो, जो मूल्य संवेदनशील हो या जो गैर-परिवर्तनीय ऋण प्रतिभूतियों पर ब्याज भुगतान या परिपक्वता/मोचन को प्रभावित करे, जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं:

1. गैर-परिवर्तनीय ऋण प्रतिभूतियों के संदर्भ में ब्याज या परिपक्वता/भुगतान राशि या दोनों के समय पर भुगतान में अपेक्षित डिफ़ॉल्ट तथा डिबेंचर के लिए सुरक्षा के निर्माण में डिफ़ॉल्ट, जैसे ही यह स्पष्ट हो।
2. कोई भी जब्ती या निषेधात्मक आदेश जो सूचीबद्ध इकाई को पंजीकृत धारकों के खाते से गैर-परिवर्तनीय ऋण प्रतिभूतियों का हस्तांतरण करने से रोकता हो, साथ में प्रभावित प्रतिभूतियों की संख्या, पंजीकृत धारकों के नाम और उनके डिमैट खाता विवरण।
3. कोई भी कार्रवाई जो किसी भी गैर-परिवर्तनीय ऋण प्रतिभूतियों के पूर्णतः या आंशिक रूप से मोचन, रूपांतरण, रद्दीकरण या सेवानिवृत्ति का परिणाम हो।
4. कोई भी कार्रवाई जो गैर- परिवर्तनीय ऋण प्रतिभूतियों पर ब्याज के भुगतान को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करे, जिसमें जारीकर्ता द्वारा गैर-परिवर्तनीय ऋण प्रतिभूतियों पर ब्याज या मोचन राशि का भुगतान करने में चूक करना और परिसंपत्तियों पर ऋण भार बनाने में विफल रहना शामिल है।
5. किसी भी स्टॉक एक्सचेंज पर सूचीबद्ध अपनी गैर-परिवर्तनीय ऋण प्रतिभूतियों के स्वरूप या प्रकृति में या उनके धारकों के अधिकारों या विशेषाधिकारों में कोई बदलाव करना और, यदि स्टॉक एक्सचेंज (एक्सचेंजों) को ऐसा करना आवश्यक हो, तो परिवर्तित प्रतिभूतियों को सूचीबद्ध करने के लिए एक आवेदन करना।
6. व्यवसाय/गतिविधियों के सामान्य स्वरूप या प्रकृति में कोई भी बदलाव, प्राकृतिक आपदा के कारण परिचालन में बाधा, और वाणिज्यिक उत्पादन/वाणिज्यिक परिचालन का प्रारंभ।
7. कोई भी घटनाएँ, जैसे कि हड़तालें और तालाबंदी, जो ब्याज भुगतान/मूलधन की चुकौती क्षमता को प्रभावित करती हो।
8. नियत तारीखों पर ब्याज के भुगतान/गैर-भुगतान, नियत तारीखों पर मूलधन के भुगतान/गैर-भुगतान, या प्रतिभूति, सूचीबद्ध इकाई, और/या परिसंपत्तियों से संबंधित किसी भी अन्य मामले के संबंध में डिबेंचर न्यासियों द्वारा दिए गए किसी भी पत्र या टिप्पणियों का विवरण, यदि कोई हो, तो उस पर अपनी टिप्पणियों के साथ।
9. नियत तारीख से तीन महीने से अधिक की अवधि के लिए ब्याज या लाभांश / मूलधन राशि / मोचन के भुगतान में विलंब/चूक।
10. निर्धारित समय अवधि के भीतर परिसंपत्तियों पर चार्ज/सुरक्षा स्थापित करने में विफलता।
11. ऋण प्रतिभूतियों के संबंध में ब्याज या मूलधन दायित्वों या दोनों के समय पर पुनर्भुगतान में चूक/विलंब की किसी स्थिति, जिसमें किसी भी निवेशक/ऋणदाता के साथ कंपनी के बकाया/ऋणों के पुनर्भुगतान कार्यक्रमों को पुनर्निर्धारित करने या स्थगित करने का कोई भी प्रस्ताव शामिल है।
12. इसके निदेशक मंडल की संरचना में कोई भी बड़ा परिवर्तन, जो भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (शेयरों का पर्याप्त अधिग्रहण और अधिग्रहण) विनियम, 2011 (यथा संशोधित) में परिभाषित नियंत्रण में परिवर्तन के समान हो।
13. रेटिंग में कोई संशोधन।
14. निदेशक मंडल की बैठक में निम्नलिखित अनुमोदन:

(क) कोई ब्याज भुगतान को पारित करने का निर्णय;
(ख) पूंजी की किसी भी वृद्धि का संक्षिप्त विवरण, चाहे पूंजीकरण के माध्यम से बोनस प्रतिभूतियां जारी करके, या ऋण सुरक्षा धारकों को दी जाने वाली सही प्रतिभूतियों के माध्यम से, या किसी अन्य तरीके से।

15. गैर-परिवर्तनीय ऋण प्रतिभूतियों से संबंधित सभी जानकारी, रिपोर्ट, सूचना, कॉल लेटर, परिपत्र, कार्यवाही, आदि।

16. कंपनी निम्नलिखित विषयों पर विचार करने के लिए आयोजित निदेशक मंडल की बैठकों के परिणामों का प्रकटीकरण, बैठक की समाप्ति के तीस मिनट के भीतर स्टॉक एक्स्चेंज को करेगी:

(क) गैर-परिवर्तनीय प्रतिभूतियों के माध्यम से की जाने वाली प्रस्तावित धन जुटाने के संबंध में निर्णय;
(ख) वित्तीय परिणाम।

बशर्ते कि, यदि बोर्ड की बैठकें एक से अधिक दिनों तक चलती है, तो वित्तीय परिणामों का प्रकटीकरण उस दिन की बैठक समाप्त होने के तीस मिनट के भीतर किया जाएगा जिस दिन उन पर विचार किया गया है।

17. कंपनी के प्रमोटर, मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक, निदेशक या कार्मिक द्वारा अथवा स्वयं कंपनी द्वारा किया गया कोई धोखाधड़ी/चूक, या मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक अथवा प्रवर्तक की गिरफ्तारी।

18. निदेशकों, मुख्य प्रबंधकीय कार्मिकों (प्रबंध निदेशक, मुख्य कार्यपालक अधिकारी, मुख्य वित्तीय अधिकारी, कंपनी सचिव आदि), लेखापरीक्षक और अनुपालन अधिकारी में परिवर्तन।

19. कंपनी के लेखापरीक्षक के इस्तीफे के मामले में, उक्त लेखापरीक्षक द्वारा दिए गए इस्तीफे के विस्तृत कारणों का खुलासा सूचीबद्ध इकाइयों द्वारा यथाशीघ्र, लेकिन लेखापरीक्षक से ऐसे कारण प्राप्त होने के चौबीस घंटे के भीतर स्टॉक एक्सचेंजों को किया जाएगा।

20. बैंकों/वित्तीय संस्थानों से लिए गए ऋण/उधार के संबंध में समाधान योजना या पुनर्गठन, जिसमें निम्नलिखित विवरण शामिल हैं:

(क) ऋण/उधार के समाधान की प्रक्रिया शुरू करने का निर्णय;

(ख) ऋणदाताओं द्वारा अंतर- ऋणदाता समझौते पर हस्ताक्षर करना;

(ग) समाधान योजना को अंतिम रूप देना;

(घ) समाधान योजना का क्रियान्वयन;

(ङ) ऋणदाताओं द्वारा तय की गई समाधान/पुनर्गठन योजना की मुख्य विशेषताएँ, जिनमें व्यावसायिक गोपनीयता से जुड़ी बातें शामिल न हों।

21. बैंक के साथ एकमुश्त निपटान।

22. किसी भी पक्ष या लेनदारों द्वारा दायर की गई समापन याचिका।

23. कंपनी की वार्षिक और असाधारण आम बैठकों की कार्यवाही।

24. वित्तीय सेवा प्रदाता पर लागू होने वाली दिवाला और दिवालियापन संहिता, 2016 के तहत कॉर्पोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया के संबंध में लागू कानून के अनुसार प्रकट की जाने वाली घटनाएँ।

25. निर्गम की शर्तों में कोई भी परिवर्तन या मोचन (धन वापसी) या कॉल/पुट विकल्पों के प्रयोग से संबंधित सूचना।

26. गैर-परिवर्तनीय ऋणपत्रों और/या गैर-परिवर्तनीय प्रतिदेय अधिमान शेयरों की शर्तों के तहत वचन पत्रों में कोई परिवर्तन या वचन पत्रों के उल्लंघन से संबंधित सूचना।

27. अदावी ब्याज या लाभांश या मूल राशि की जब्ती/समपहरण से संबंधित सूचना।

28. ऋणपत्र न्यासी (डिबेंचर ट्रस्टी) या साख निर्धारण संस्था, कुलसचिव और शेयर हस्तांतरण एजेंट में किसी भी बदलाव से संबंधित सूचना।

29. कंपनी द्वारा किसी तीसरे पक्ष को प्रदान की गई सांत्वना, गारंटी या किसी ऋण वृद्धि की सूचना।

30. कोई अन्य जानकारी या परिवर्तन जो:

(क) गैर-परिवर्तनीय प्रतिभूतियों के धारकों के अधिकारों और दायित्वों को प्रभावित करेगा; तथा

(ख) सार्वजनिक क्षेत्र में उपलब्ध नहीं है, लेकिन गैर-परिवर्तनीय प्रतिभूतियों के धारकों को वास्तविक स्थिति समझने और ऐसी सूचीबद्ध प्रतिभूतियों के लिए भ्रमपूर्ण बाजार बनने से रोकने के लिए आवश्यक है।

****

आर ई सी
REC
असीमित ऊर्जा, अनन्त संभावनाएं
Endless energy. Infinite possibilities.
महारत्न कंपनी

आरईसी लिमिटेड (भारत सरकार का महारत्न उद्यम)

निगमित कार्यालयः प्लॉट नं. आई-4, सेक्टर–29, गुरूग्राम, हरियाणा–122001 | **टेलीफोनः** +91-124-4441300

पंजीकृत कार्यालयः कोर–4, स्कोप कॉम्प्लेक्स, 7, लोधी रोड, नई दिल्ली – 110003 | **टेलीफोनः** +91-11-43091500

ईमेलः contactus@recl.in **वेबसाइटः** www.recindia.nic.in

हमें फॉलो करें: @RECLindia